

28/12/2023

प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये जिनको करीब 1½ माह से अधिक समय हो चुका है। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाने गई, अन्तिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा-सेढ आये हुए हैं, प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे व कणें बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों के कारण बिखर गये हैं जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों के बिच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी के नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ भू. अ. नि. से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।


सहायक कमिशनर (SDO)

बायतु
जिला - बाड़मेर

